फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती श्यामकुंवर — विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 114/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बांसलिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां मय वादीयां उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीयां द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में टमुकुंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीयां का वास्तविक नाम श्यामकुंवर पुत्री भंवरसिंह है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें टमुकुंवर व श्यामकुंवर को एक ही महिला होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादीयां द्वारा अपनी पहचान स्वरूप 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादीयां का नाम श्यामकुंवर दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादीयां को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली के अनुसार टमुकुंवर व श्यामकुंवर एक ही महिला होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 465, 466, 467, 743, 744, 753, 754, 764, 765, 769, 774, 775 किता 12 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 703, 704, 705, 706, 760, 761, 762, 763, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 973, 974, 975, 976, 977, 998 किता 26 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 764 रकबा 5 बिस्वा भूमि में वादीयां का नाम टमुकुंवर पुत्री भंवरसिंह के बजाय टमुकुंवर उर्फ श्यामकुंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 20:14:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती श्यामकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी प्रतापसिंह राजपुत निवासी बांसलिया हाल मोरजाई तह. वल्लभनगर।

....................वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 114/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00248

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीयां अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 465, 466, 467, 743, 744, 753, 754, 764, 765, 769, 774, 775 किता 12 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 703, 704, 705, 706, 760, 761, 762, 763, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 973, 974, 975, 976, 977, 998 किता 26 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 764 रकबा 5 बिस्वा भूमि में वादीयां का नाम टमुकुंवर पुत्री भंवरसिंह के बजाय टमुकुंवर उर्फ श्यामकुंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 20:14:58 IST
Reason: SelfAttested